



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1458 वर्ष 2026

निर्मल सिंह तथा एक अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 7 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : ज्ञान प्रकाश तिवारी, कमलेश तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शशीकान्त मिश्रा

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. कुछ बहस के पश्चात, याचीगण के अधिवक्ता द्वारा नई याचिका दाखिल करने के लिए याचीगण को स्वतंत्रता के साथ नाट प्रेस न होने के नाते वर्तमान याचिका को खारिज करने के लिए अनुरोध किया गया है।
2. इस अनुरोध का विरोध श्री एस०के० मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है।
3. अनुरोध को अनुज्ञात किया जाता है।
4. तदनुसार, याचिका को स्वतंत्रता जैसा अनुरोध किया गया है के साथ नाट प्रेस होने के नाते खारिज किया जाता है।
5. उपर्युक्त के छायाप्रति को रखने के पश्चात् कार्यालय को आदेश की प्रमाणित प्रति याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को वापस करने का निदेश दिया जाता है जो याचिका के साथ संलग्न है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"